किस्म मुकदमा : अपील सं0 13 /2019 अन्तर्गत धारा 90–ए(2)नगर सुधार अधिनियम 1959
अनवान श्रीमती विनिता जांगिड बनाम नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	नं0 व तारीख अफसर जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.7.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अपील में नगर विकास न्यास की ओर से अभिभाषक श्री विजयकुमार ने प्राथमिक कानूनी आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.2019 पारित किया हुआ है एवम् अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 12.6.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । जबकि यूआईटी. अधिनियम की धारा 90–ए(2) के अन्तर्गत आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति न्यास आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर–2 उस आदेश के विरुध्द न्यायालय सम्भागीय आयुक्त में अपील कर सकता है । अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है, जिसके लिए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस कारण अपील अनकम्पलीट एवं डिफेक्टिव है । यह कि कोई अपील मियाद बाहर पेश की गयी है तो स्थगन प्रार्थना पत्र से पहले मियाद बिन्दु तय किया जाना आवश्यक है । नगर विकास न्यास के अभिभाषक द्वारा आगे आपत्ति की गयी कि जिस प्लोट के बाबत अपील पेश की गयी, वह प्लोट विनिता देवी व कुलदीप जांगिड़ दोनों के नाम से है तथा दानों के नाम से नगर विकास न्यास में इन्तकाल दर्ज है। इस न्यायालय में अपील केवल विनिता देवी द्वारा पेश की गयी, जबकि दोनों के नाम से अपील पेश की जानी चाहिये थी । अपील में कुलदीप जांगीड़ को पक्षकार भी नहीं बनाया गया। इस कारण अपील अनकम्पलीट है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है तथा अनकम्पलीट एवम् डिफेक्टिव होने से स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकती है । अतः अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे । अभिभाषक प्रार्थी अपीलान्ट ने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना के जवाब एवं बहस में बताया कि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगगानगर के नोटिस दिनाक 17.5.19 के विरुध्द अपील पेश की गयी है, इसलिए यह अपील इस न्यायालय में मियाद बाहर नहीं होने से अपील को मियाद में शुमार किया जावे । अभिभाषक प्रार्थी अपीलान्ट ने बताया कि प्रार्थीनी अपीलान्ट द्वारा श्रीगंगानागर के चक 7 ई छोटी मुरब्बा नम्बर 41 किला नं0 13 में मूल भूखण्ड सं0 बी–8 के कॉर्नर भाग–ए तादादी 25 X 30 फुट का आवासीय भूखण्ड रामलाल बतरा एवं श्रीमती लाजवन्ती पत्नी रामलाल से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.9.18 को खरीद किया गया, जिसका पट्टा नगर विकास न्यास द्वारा रामलाल आदि के नाम धारा 90बी (एल.आर.एक्ट) के तहत कृषि भूमि से आवासीय रुपान्तरण की कार्यवाही के तहत जारी किया हुआ है । प्रार्थी के नाम से उपविभाजित भूखण्ड माप 25 X 30 फुट का नामान्तरण न्यास द्वारा जारी किया हुआ है एवं प्रार्थीनी ने अपने खरीद शुदा भूखण्ड पर निर्माण करवाया है । यह कि किसी अमरजीतसिंह ने एक रिट पेटीशन सं0 2641/2019 प्रस्तुत की, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर ने निर्णय दिनांक 25.3.19 द्वारा नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर को आदेश दिया कि छः सप्ताह में परिवादी के परिवाद का निस्तारण करें । इस पर सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ने प्रार्थीनी व उसके पति कुलदीप के नाम नोटिस दिनांक 12.4.19 जारी किया व सैट बैक में किये गये निर्माण को 7 दिवस में हटाने के निर्देश दिये । इस पर प्रार्थी के पति कुलदीप जांगीड़ द्वारा नोटिस का जवाब पेश कर कहा कि सैट–बैक के नियम धारा 90–बी लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होते हैं एवम् नोाटिस प्रत्युत्तर हेतु समय चाहा गया। किन्तु नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ने माननीय उच्च न्यायालय के छः सप्ताह की समय सीमा की आड में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा आदेश पारित कर चक 7 ई छोटी मुरब्बा सं0 41 के किला नम्बर 13 भुखण्ड सं0 बी–8 माप 30 गुणा 65 फीट में सैट बैक में किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने का निर्णय पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीनी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । सचिव, नगर विकास न्यास का आदेश दिनांक 5.5.19 एवं नोटिस दिनांक 17.5.19 बिना क्षेत्राधिकार के जारी किया गया है । अतः विवादग्रस्त अचल सम्पत्ति में तोड़ फोड़ न करने व बेदखल नहीं करने का स्थगन आदेश फरमाया जावे। सम्भागीय आयुक्त बीकानेर .....लगातार	

हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । नगर विकास न्यास अभिभाषक द्वारा वरवक्त बहस प्रकरण में प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर उभय पक्ष को सुना गया है, अतः प्रथमतः उक्त प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते हैं । न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत है:–

1. प्रकरण में नगर विकास न्यास अभिभाषक की प्राथमिक आपत्ति है कि नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर का मूल अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.19 को पारित किया गया है, जिसके विरुध्द इस न्यायालय में दिनांक 12.6.19 को अपील पेश की गयी है, जो मियाद बाहर है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस कारण अपील अनकम्पलीट व डिफेक्टिव है ?
2. न्यायालय के अनुसार प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 90, 91–क, 91–ग के प्रावधानों एवं भवन विनियम 2017 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.2019 एवं अन्तिम नोटिस दिनांक 17.5.19 के विरुध्द यह अपील दिनांक 12.6.19 को नगर विकास न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91–ए(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । यूआईटी. अधिनियम की धारा 91–ए(2) के अन्तर्गत आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति न्यास आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर–2 उस आदेश के विरुध्द सम्भागीय आयुक्त में अपील कर सकता है । अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि उसके द्वारा अन्तिम नोटिस दिनांक 17.5.19 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील पेश की गयी है, जो अन्दर मियाद है । हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो का अवलोकन किया, जिसके अनुसार अपीलान्ट द्वारा नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.19 एवं 17.5.19 के विरुध्द अपील प्रस्तुत की गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन कि अन्तिम नोटिस दिनांक 17.5.19 के विरुध्द यह अपील पेश की गयी है, जो स्वीकार योग्य नहीं है । क्योंकि नगर विकास न्यास द्वारा मूल आदेश दिनांक 5.5.19 को पारित किया गया है तथा अन्तिम नोटिस दिनांक 17.5.19 मूल आदेश दिनांक 5.5.19 की पालना में जारी किया गया है । अतः अभिभाषक नगर विकास न्यास द्वारा प्रस्तुत की गयी मियाद बिन्दु पर प्रथम आपत्ति स्वीकार योग्य है । हम अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत हैं कि स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से पूर्व मियाद बिन्दु तय किया जाना आवश्यक है । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के मूल अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.19 के विरुध्द इस न्यायालय में दिनांक 12.6.19 को मियाद बाहर अपील पेश की गयी, जिसके लिए उनके द्वारा अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी यह अपील अनकम्पलीट एवं डिफेक्टिव है ।
3. अभिभाषक नगर विकास न्यास द्वारा तृतीय आपत्ति यह प्रस्तुत की गयी है कि जिस प्लोट के बाबत अपील पेश की गयी, वह प्लोट विनिता देवी व उनके पति कुलदीप जांगिड़ दोनों के नाम से है तथा दानों के नाम से इन्तकाल दर्ज है। अपील केवल विनिता देवी द्वारा पेश की गयी है, जबकि दोनों के नाम से अपील पेश की जानी चाहिये थी । अपील में कुलदीप जांगीड़ व अन्य को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। इस कारण प्रस्तुत अपील अनकम्पलीट है ?
4. न्यायालय के अनुसार प्रकरण में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के मूल आदेश दिनांक 5.5.19 जिसके द्वारा श्रीगंगानगर के चक 7 ई छोटी मुरब्बा सं0 41 के किला नं0 13 में भूखण्ड सं0 बी–08 माप 30 X 65 फीट में सैट बैक्स सीमा में अवैध निर्माण को हटाये जाने का निर्णय लिया गया एवं उक्त निर्णय की पालना में श्रीमीती विनिता जांगीड़, एवम् कुलदीप जांगीड़ एवं गोकुलचन्द जांगीड़ = एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों के नाम अन्तिम नोटिस दिनांक

लगातार .....

17.5.19 जारी किया गया है । नगर विकास न्यास के मूल आदेश दिनांक 5.5.19 एवं नोटिस के विरुध्द इस न्यायालय में केवल श्रीमती विनिता जांगीड़ द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है । जबकि उप विभाजित प्लॉट 25X30 का नामान्तरकरण अपीलार्थी विनिता जांगीड़ एवं उनके पति कुलदीप जांगीड़ दोनों के नाम से दर्ज है । इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी अपील में कुलदीप जांगीड़ को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। भूखण्ड सं0 बी–08 माप 30 X 65 फीट में से श्रीमती विनिता जांगीड़ एवं कुलदीप जोगीड़ को भूखण्ड माप 25 X 30 का उप विभाजन आदेश दिनांक 24.12.18 द्वारा इस आधार पर स्वीकार किया गया कि उक्त भूखण्ड का सक्षम स्तर से भवन मानचित्र अनुमोदन करवाना आवश्यक होगा। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार हम अभिभाषक नगर विकास न्यास की इस प्राथमिक आपत्ति से सहमत हैं कि उप विभाजित भूखण्ड माप 25 X 30 फीट (कॉर्नर भाग) का नामान्तरण पत्र सचिव, नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 21.1.19 को अपीलार्थी विनिता जांगीड एवं उनके पति श्री कुलदीप जांगीड़ के संयुक्त नाम से जारी किया गया है । किन्तु नगर विकास न्यास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.19 के विरुध्द इस न्यायालय में अपील श्रीमती विनिता जांगीड़ द्वारा पेश की गयी है, जबकि दोनों के द्वारा अपील पेश की जानी चाहिये थी । इसके अलावा कुलदीप जांगीड़ अथवा अन्य को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार यह अपील अनकम्पीलट की श्रेणी में आती है ।

उपरोक्त तथ्यों के अनुसार नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.19 के विरुध्द प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है । अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस कारण यह अपील अनकम्पलीट एवम् डिफेक्टिव होने से स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकती है । इसके अलावा नगर विकास न्यास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.19 के विरुध्द इस न्यायालय में अपील श्रीमती विनिता जांगीड़ द्वारा पेश की गयी है, जबकि उप विभाजित भूखण्ड माप 25 X 30 फीट (कॉर्नर भाग) का संयुक्त रुप से न्यास में नामान्तरण दर्ज है अतः दोनों के द्वारा अपील पेश की जानी चाहिये थी । अपील में कुलदीप जांगीड़ अथवा अन्य को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है । इस प्रकार प्रस्तुत अपील अनकम्पीलट की श्रेणी में आती है । अतः नगर विकास न्यास अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर